

पार्थी अभिभाषक श्री शाकिर हमली खान
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 22/11/18
अधीनस्थ
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन





माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर,

उज्जैन म.प्र.

प्र.क्र. निगरानी-6433/2018/उज्जैन/अ.रा.स

1. प्रहलाद पिता भुवान जी
 2. प्रभुलाल पिता भुवान जी
 3. मोहनलाल पिता भुवान जी
- निवासीगण ग्राम राजोटा तहसील
बड़नगर जिला उज्जैन --आवेदकगण



1. श्रीमती बानोबाई पति इनायत हुसैन
निवासी बोहरा गली बड़नगर जि.उज्जैन
2. श्रीमती गीताबाई विधवा बालूसिंह
3. कैलाश, 4. भारत, 5. चम्पालाल
6. भंवरबाई 7. पवनबाई पुत्र/पुत्रीगण
बालूसिंह निवासी ग्राम राजोटा तहसील
बड़नगर जिला उज्जैन -- अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 351/13-14 अपील में आदेश दिनांक 27-9-18 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत करते हैं :-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय कास आदेश जैर निगरानी विधि विधान एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अनावेदक क्रमांक 1 बानोबाई द्वारा तहसील न्यायालय में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-6433/2018/उज्जैन/भू.रा.

12

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01/08/2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 27.09.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">(महेश/चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	